राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नीमकाथाना

सरकार बनाम मोहनलाल

किस्मः— एफएसएसए एक्ट; नमूना कोडः— जी — 2219 मुकदमा नम्बरः— 63/2023

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा (2)(I I)
एफएसएसए एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय

दिनांकः—16.10.2023

संक्षेप में प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र इस प्रकार है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी श्री मोहनलाल पुत्र श्री नाथूलाल सैनी, एफ.बी.ओ. मैसर्स शिव शक्ति रसगुल्ला भण्डार, वार्ड नं. 07 उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं हाल जिला नीम का थाना उपस्थित हुये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी झुंझुनू द्वारा दिनांक 16.05.2022 को समय 03:00 पी.एम. पर मैसर्स शिव शक्ति रसगुल्ला भण्डार, वार्ड नं. 07 उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं हाल जिला नीम का थाना का निरीक्षण किया। वहां पर विक्रेता को मैनें अपना परिचय दिया व उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम मोहनलाल पुत्र नाथूलाल सैनी होना बताया व स्वयं को उक्त मैसर्स का मालिक होना बताया। विक्रेता मोहनलाल से खाद्य पदार्थ लाईसेंस दिखाने के लिए कहा, तो उसने खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन होना जाहिर किया।

मैसर्स शिव शक्ति रसगुल्ला भण्डार, वार्ड नं. 07 उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं हाल जिला नीम का थाना पर निरीक्षण के समय विक्रेता के द्वारा **खोया** का विक्रय किया जा रहा था। विक्रय किये जा रहे खाद्य पदार्थ **खोया** में मिलावट का संदेह होने पर फर्म पर उपलब्ध एक डीप फ्रिज में करीबन 200 किग्रा (5 किलोग्राम पोलीपैक x 10 थैली, 10 किलोग्राम पोलीपैक x 5 थैली व 20 किलोग्राम पोलीपैक x 5 थैली) **खोया स्टोक** में से वास्ते नमूना जाँच हेतु नमूना लेने के लिए कहा व फार्म नम्बर 5ए की प्रति तैयार कर नमूना लेने कि सूचना दी तथा प्राप्ति रसीद ली। वास्ते नमूना जांच हेतु एक पोलीथीन थैली जिसमें करीबन 5 किलोग्राम खोया था में से 1 किग्रा खोया खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता को 250 रु नगद देकर रसीद प्राप्त कि जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थिति गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये। उक्त नमूना **अमानक** पाया गया। अप्रार्थी ने कारोबार को देखते हुये कम से कम जूर्मना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थी व अप्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा नम्बर **जी—2219** खाद्य पदार्थ **खोया** का नमूना लिया गया। राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर कि रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण **अमानक** पाया गया। अमानक खाद्य पदार्थ [illegible] सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप ध[illegible] का उल्लघंन पाया गया। यह कृत्य लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिल[illegible] अप्रार्थी को आर्थिक दण्ड दिया जाना आवश्यक है ताकि भविष्य [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:08:45 IST
Reason: SelfAttested

अतः खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को 11000 रू के जुर्माने से दण्डित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जूर्माना राशि हैड 0210–04–800–03–00 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत राज्यकोष में जरीये चालान जमा करावें एवं जमा राशि कि एक प्रति इस न्यायालय में पेश कि जावे। जूर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अप्रार्थी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

आदेश आज दिनांक 16.10.2023 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
अति. जिला- कलक्टर,
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.24 11:08:45 IST
Reason: SelfAttested